न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—478/2016/223 (2016/00478)

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 नारायण,
2. छीतर पुत्र स्व0 नारायण,
3. रामा पुत्र स्व0 नारायण,
4. रंगलाल पुत्र स्व0 नारायण,
5. हजारी पुत्र स्व0 नारायण,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी बावड़ी की ढाणी, ग्राम पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
6. राजूराम पुत्र स्व0 भागीरथ उर्फ भागू,
7. माधूराम पुत्र स्व0 भागीरथ उर्फ भागू,
8. मोटू पुत्र स्व0 भागीरथ उर्फ भागू,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी बावड़ी की ढाणी, ग्राम पालडी भोपतोतान, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्योदान पुत्र स्व0 भारमल,
2. उद्धाराम पुत्र स्व0 भारमल,
3. धन्ना पुत्र स्व0 भारमल,
4. हरलाल पुत्र स्व0 भारमल,
5. छोटू पुत्र स्व0 भारमल,
6. देवा पुत्र स्व0 भारमल,
7. श्रीमती लाली पुत्री स्व0 भारमल,
8. श्रीमती लाडा पुत्री स्व0 भारमल,
9. श्रीमती राजा पुत्री स्व0 भारमल,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पालड़ी, भोपतोतान, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
10. भंवरिया उर्फ भंवरलाल दत्तक पुत्र मालू, जाति गुर्जर, नि0 बावड़ी की ढाणी, पालड़ी भोपतोतान, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती मानुड़ी देवी पत्नी रामकरण,
12. श्रीमती मनभर देवी पत्नी देवकरण,
13. श्रीमती लालीदेवी पत्नी गोपीराम,
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बावड़ी सरना डूंगर, जयपुर ।
14. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़, जरिये शाखा प्रबंधक ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
16. उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 31.3.2016 अंतर्गत वाद संख्या 35/2014.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर एवं श्री उमेश कुमार, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अरविन्द दाधीच, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 14.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 15 व 16.

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31.3.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वाधिकारी भारमल पुत्र रामा द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पालड़ी भोपतोतान के खसरा नंबर 172 रकबा 72—8—0 से तरमीम खसरा नंबर 172/1 रकबा 48—5—00 के 1/2 हिस्से भू—भाग के खातेदारी प्राप्ति का वादी वैध अधिकारी है । खसरा नंबर 171 रकबा 7 बिस्वा का वादी 1/3 हिस्से एवं खसरा नंबर 174 रकबा 8—11—00 का वादी 1/3 हिस्से का सह—खातेदार काश्तकार है । इस आशय की घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 1.10. 2015 को वादी का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने वाद में निर्णय दिनांक 31.3.2016 को पारित कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.3.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर प्रकरण को गुणागवुण पर निर्णित करने का निवेदन किया । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 500/—रू0 की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0/वादी द्वारा अधी0न्याया0 में खातेदारी उद्घोषणा एवं विभाजन का वाद पेश किया था जिसमें वादी ने आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नियुक्त नहीं किया तथा न ही उक्त वाद में राज्य सरकार द्वारा कोई जवाब दावा पेश किया गया था । यह भी कथन किया कि वाद के विचाराधीन रहते पक्षकार सुटी उर्फ सुवा पत्नि नारायण की मृत्यु हो गई थी जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना अधी0न्याया0 ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है । इसी प्रकार विवादित भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ के रहन रखी हुई थी जिससे बैंक भी वाद में आवश्यक पक्षकार था किन्तु वादी ने बैंक को वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं किया । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा वाद में पक्षकार सरजू, हीरा, दाखा, सजना, गौरा पुत्रिगण नारायण की तामील सम्मन से न करवा कर सीधे तौर पर अखबार साया से करवा दी जबकि पूर्व में वादी/रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन भेजे गये थे उसमें डाक विभाग द्वारा गलत पता अंकित होने के कारण वापिस लौटा दिये थे जबकि वादी द्वारा वाद पेश करने से पूर्व से ही उपरोक्त पक्षकारगण ग्राम उलाणा तहसील परबतसर जिला नागौर में स्थायी रूप से निवासरत है । अखबार साया भी अजमेर जिला का करवाया गया जबकि विधि के तहत नागौर जिले के समाचार पत्र में नोटिस साया करवाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद में दिनांक 1.10.2015 को प्राथमिक डिक्री अपीलांटस को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में

पारित की है जो विधि विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर अविधिक है । जब प्राथमिक डिक्री ही अविधिक है तो उसके आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.3.2016 भी अविधिक है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.3.2016 निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 का वाद दिनांक 1.10.2015 को पारित कर वादी के वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है तथा इसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2016 भी विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है जिस पर वह काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत विधिसम्मत् रूप से प्राथमिक डिक्री तत्पश्चात् अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 का वाद दिनांक 1.10.2015 को निर्णय पारित कर वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 31.3.2016 को निर्णय पारित कर अंतिम डिक्री पारित की है । हस्तगत अपील अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.3.2016 के विरूद्ध पेश हुई है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 के विरूद्ध अपील संख्या 476/2016/223 बउनवान भंवरलाल व अन्य बनाम श्योदान व अन्य पेश की गई थी जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.8.2019 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 के आधार पर ही अधी0न्याया0 ने वाद में दिनांक 31.3.2016 को अंतिम डिक्री पारित की है। जब अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 हाजा न्यायालय द्वारा निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है तो उसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2016 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती है तथा उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

8. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.10.2015 निरस्त होने से उसके इसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.3.2016 भी स्वतः सारहीन होकर निरस्त हो जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.3.2016 सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर